स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर एंड ट्रेनिंग मोड्यूल की हुई लांचिंग, मुख्य न्यायाधीश ने कहा

दिल से करें काम, मिलेगी सफलता

संवाददाता

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने झालसा के पारा लिगल वॉलेंटियर (पीएलवी) को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे कागज पर काम करने की बजाये दिल से काम करें। दिल से काम करने पर सफलता मिलनी तय है। उन्हें सोशल सर्विस को ध्यान में रखकर काम करना होगा। मुख्य न्यायाधीश रांची सिविल कोर्ट परिसर में झालसा द्वारा रिलीज किये गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर एंड ट्रेनिंग मोड्यूल की लॉचिंग के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर (एसओपी) राज्य में किस प्रकार लागू किया जाये इसकी ड्राफ्टिंग एक माह के अंदर तैयार करने में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ताकि झारखंड में नेशनल लिगल सर्विसेस अथॉरिटी (नालसा) की सात स्कीमें राज्य के ग्रामीणों तक सही ढंग से पहुंच सकें। उन्होंने झारखंड पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान की तारीफ की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि झालसा के पीएलवी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं। अधिक से अधिक ट्राइबल लोगों तक कैसे पहुंचा जाये, इसपर विचार करने की जरूरत है। ट्राइबल बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए लिटरेसी क्लब बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड लिगल सर्विसेस अथॉरिटी (झालसा) के लिए वर्ष 2015 काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इस दौरान झालसा के पीएलवी लोगों तक पहुंचे जिससे लंबित मामलों के निष्पादन में सफलता मिली। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने हाल में ही नालसा द्वारा लॉन्च की गयी सात स्कीमों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक- एक स्कीम के लिए 15- 15 सदस्यों की कमिटी बनायी जायेगी। इस तरह राज्य के 24 जिलों में कमिटी बनाकर करीब तीन हजार 500 लोगों को ट्रेनिंग दी जायेगी। ये लोग लाभुकों को इन सातों स्कीमों के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया कि झालसा के बेहतर काम को पूरे देश में जाना जाने लगा है। नालसा की सात स्कीमों को राज्य के लोगों तक कैसे पहुंचाया जाये इसे पूरे देश में अभी सिर्फ झालसा ने अभी तैयार किया है। अंतिम व्यक्ति तक इन स्कीमों का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित किया गया है। इन सात स्कीमों के लिए पायलट ट्रेनिंग की शुरुआत रांची से की जायेगी। कार्यक्रम के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से शादी के बाद अलग हो चुके दो जोड़े मुख्य न्यायाधीश के समक्ष फिर से एक हो गये। इनमें तीन साल से अलग रहने वाले लक्ष्मी लाल वर्मा व पूर्णिमा वर्मा तथा शादी के एक साल बाद से अलग रह रहे मो इमरान व अंजुम शामिल हैं। इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक दूसरे को माला पहनाकर फिर से एक साथ रहने का वायदा किया। मौके पर दुर्घटना मुआवजा के रूप में आरती देवी को छह लाख 60 हजार का चेक, पुष्पा लकड़ा को छह लाख 94 हजार का चेक, शेख कादीमिन के मामले में रतन जहान को 25 लाख के मुआवजा का चेक तथा मनोज महतो को डेढ़ लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेन्दर सिंह ने जनजातीय क्षेत्रों में लड़कियों की तरक्की के लिए सुझाये कई कार्यक्रम

ऑपरेशन मुस्कान की तरह लिट्रेसी क्लब खोले जाएं

संवाददाता

रांची। झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेन्दर सिंह ने राज्य के जनजातीय क्षेत्र में लड़कियों के लिए लिट्रेसी क्लब खोलने का निर्देश दिया है, ताकि लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ सकें। उन्होंने डीसी व एसएसपी से कहा कि जिस प्रकार राज्य भर में ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, उसी तर्ज पर लिट्रेसी क्लब खोले जाएं।

उन्होंने कहा कि कोई चीज अगर भावनात्मक लगाव से किया जाए, तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। चीफ जस्टिस झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) ने किया है। वह शनिवार को सिविल कोर्ट में झालसा के बैनर तले आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

झालसा ने बीते दो अगस्त को नालसा स्कीम्स को लॉन्च किया था। इन स्कीमों को राज्य भर में कैसे कार्यान्वयन किया जाएगा। इसी को लेकर झालसा ने मानक संचालन प्रक्रिया एवं ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। चीफ ने इसका भी विमोचन किया।

झालसा के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश और अन्य अतिथि।

उन्होंने कहा कि अगर दिल से काम नहीं करेंगे तो सफलता तो दूर सिर्फ कागजों के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा। जरूरतमंद लोगों तक इन स्कीमों को पहुंचाना है। चीफ ने न्यायमूर्ति डीएन पटेल की स्कीम को उपयोग व कार्यान्वयन के तरीके तैयार करने पर तारीफ की। धन्यवाद ज्ञापन डीजे मनोज कुमार ने किया।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति डीएन पटेल, न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद, प्रधान न्यायायुक्त एसपी सिंह, झालसा सचिव राजीव कुमार, एसएसपी प्रभात कुमार, डालसा सचिव रंजीत कुमार पाठक समेत न्यायिक पदाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित थे।

योजना की शुरुआत रांची जिले से : न्यायमूर्ति पटेल

रांची। न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने कहा कि झालसा द्वारा तैयार सात योजनाओं को रांची जिले से प्रारंभ किया जाएगा। जनवरी महीने में एक टीम को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कीम के कार्यान्वयन को लेकर सात टीम बनाई जाएगी। प्रत्येक टीम में 15-15 सदस्य होंगे। एक जिले में 105 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य भर 2520 लोगों को स्कीम कार्यान्वयन करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नालसा द्वारा तैयार सात स्कीमों में मानव तस्करी व यौन शोषण के शिकार, असंगठित कर्मकारों के बीच विधिक सेवा, बच्चों के लिए विधिक सेवा एवं प्रतिनिधित्व, मानसिक रूप से बीमार व विकलांग व्यक्ति, गरीबी उन्मूलन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासी अधिकार के संरक्षण एवं प्रवर्तन, नशाखोरी के दुष्प्रभाव और नशा के उन्मूलन के शिकार शामिल है। इसी को पूरे राज्य भर में प्रभावशाली करना है।

टूटते रिश्तों का कराया पुनर्मिलन

रांची। राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों को अलग-अलग तरह की खुशी मिली। किसी को बकाया राशि मिली, तो किसी को नियुक्ति पत्र मिला। लेकिन सिविल कोर्ट रांची में लगी लोक अदालत में तीन बिछड़े जोड़ों का पुनर्मिलन कराया। ये वो तीन जोड़े फैमिली कोर्ट में विवाह विच्छेद का मुकदमा दर्ज किया था। तीनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। इन तीनों को फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश व मीडिएटर के संयुक्त प्रयास से तीन परिवार टूटने से बच गया। एक जोड़ा लक्ष्मी लाल वर्मा व पूर्णिमा वर्मा को फैमिली कोर्ट ने मिलाया। वहीं एक जोड़ा को मीडिएटर गलोरी टिर्की ने मिलाया। गलोरी टिर्की ने मो. इमरान व अंजुम को मिलाया। इन दोनों की शादी वर्ष 2014 में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन हो गया था तथा मामला कोर्ट तक पहुंचा था।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, मिली अच्छी सफलता, सीजे ने कहा

फैसले में पैसे और समय दोनों बचते हैं, मुहिम को सफल बनायें

● राष्ट्रीय लोक अदालत में 150 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया

● अपने मुकदमे व्यक्तिगत दिलचस्पी के साथ लायें अधिवक्ता

संवाददाता

कार्यक्रम का उद् घाटन करते झालसा के मुख्य संरक्षक सह न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह और अन्य ।

रांची। हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) सह झालसा के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति वीरेन्दर सिंह ने कहा कि लोक अदालत से माध्यम से होनेवाले फैसले में समय और पैसे दोनों की बचत होती है। अधिवक्ता अपने मुकदमे व्यक्तिगत रुचि के साथ लोक अदालत में लायें। उन्होंने वर्षों से लंबित मुकदमे को लोक अदालत में लाने की अपील की। सुदूरवर्ती लोगों तक लोक अदालत के प्रति जागरुक करने के लिए पारा लीगल वॉलिंटियर्स (पीएलवी) को लगाया गया है। वह शनिवार को हाइकोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले दस महीने में नौ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा चुका है। इसमें 17 लाख से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया।

मौके पर सीजे, झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सह आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र टाटिया, न्यायमूर्ति डीएन पटेल आदि ने 58 लोगों को नियुक्तिपत्र सौंपे। हाइकोर्ट में ऐसे 150 वादों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा रांची विवि समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़े अवमानना वाद के 600 मुकदमों का निष्पादन किया गया। मौके पर चकाये राशि चेक के माध्यम से लाभुक को वितरित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद ने किया। इस अवसर पर झारखंड हाइकोर्ट के सभी जजों, न्यायिक पदाधिकारियों, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, झालसा के सचिव नवनीत कुमार, वरीय अधिवक्ता समेत काफी संख्या अधिवक्तागण उपस्थित थे।

4400 दिनों में दाखिल करायी अपील : सीजे

सीजे वीरेन्दर सिंह ने कहा कि जेल में बंद कई सजायाफ्ता को अपील दायर करने की जानकारी नहीं है। ऐसे ही एक सजायाफ्ता 4400 दिनों के बाद अपील दाखिल की। वह भी झालसा के माध्यम से अपील दाखिल करवायी गयी।

साथ में 1231 करोड़ रुपये का सेटलमेंट

रांची। राज्य भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक दिन में 13.64 लाख से अधिक मुकदमों का निष्पादन किया गया। यह जानकारी झालसा के उपसचिव राजेश कुमार ने दी है।

लोक अदालत का वातावरण लोगों तक पहुंचे : न्यायमूर्ति टाटिया

झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रकाश चन्द्र टाटिया ने कहा कि लोक अदालत का वातावरण लोगों तक पहुंचे। लोक अदालत की भावना आगे तक बढ़ाएं। अदालतों में ऐसे बहुत सारे मुकदमे लंबित है, जिसे कोर्ट के बाहर सुलझाया जा सकता है। इन मुकदमों को तो कोर्ट में पहुंचने से पहले बाहर ही सुलह कराया जा सकता था। जिन मामलों में कोई कानूनी बिन्दु नहीं वैसे मामले भी अदालत पहुंच रहा है। ऐसे मामलों को सिर्फ ह्यूमन टच से ही निपटारा किया जा सकता है। अर्थात् लोगों को कानून से पहले इसका लाभ सिर्फ लोक अदालत से ही मिल सकता है। अधिवक्ताओं से अपील की कमाई को कुछ हिस्सा लोक अदालत में दें। श्री टाटिया ने लोक अदालत में जिन लोगों के मामले निष्पादित किये जाते हैं, उनका डाटा बेस तैयार करने को कहा।

लोक अदालत में निष्पादित मामलों में अपील नहीं : न्यायमूर्ति पटेल

रांची। हाइकोर्ट के वरीय न्यायाधीश डीएन पटेल कहा कि राज्य के सिविल कोर्ट में तीन लाख से अधिक मुकदमें लंबित है। हाइकोर्ट में 80 हजार से अधिक मुकदमें लंबित है। लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी केस लड़ते समय गुजर जाता है। दादा की लड़ाई पोता लड़ता है। लोक अदालत में अगर ऐसे मामले लाये जाये तो इसका निष्पादन एक दिन में बिना हार-जीत के साथ हो सकता है। इतना ही कोर्ट फीस की राशि वापस हो जाती है। लोक अदालत में निष्पादित मामलों में अपील नहीं की जा सकती।

लाखों का किया भुगतान

[illegible]

19 को जिला मुख्यालयों में कांग्रेस देगी धरना

[illegible]

पूर्व एलआरडीसी का पेंशन कटौती का आदेश

[illegible]

1150 करोड़ से अधिक की राशि का हुआ वितरण, 1175 लोगों को मिली अनुकंपा पर नियुक्ति

लोक अदालत में 13.63 लाख मामले निपटाए

[illegible]

[illegible]

सिविल कोर्ट में 22 हजार मामले निष्पादित

[illegible]

[illegible]

राष्ट्रीय लोक अदालत की उपलब्धि

[illegible]

'लाभुकों को बनाएंगे पारा लीगल वॉलेंटियर'

[illegible]

...और खुशी से आंखें छलक गईं

[illegible]

रांची एक्सप्रेस
रांची, रविवार 13 दिसम्बर 2015

सिविल कोर्ट में एसओपी एवं ट्रेनिंग माड्यूल जारी

अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे : न्यायमूर्ति बीरेन्द्र सिंह

रांची, 12 दिसम्बर (रां.ए.सं.) : रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित एक समारोह में 'स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिड्यूसर (एसओपी) एवं ट्रेनिंग माड्यूल' को आज झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन्द्र सिंह ने जारी किया। इसके तहत जनहित से जुड़े सात योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि झालसा के द्वारा काफी कार्य हो रहे हैं। यदि किसी भी कार्य में भावनात्मक लगाव हो तो उसमें जरूर ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि न्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए।

झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल ने कहा कि इस वर्ष जनवरी से अक्तूबर माह तक 27 लाख मामलों का निष्पादन किया गया है एवं 651 करोड़ रुपये का समझौता किया जा चुका है।

कार्यक्रम में शादी के बाद से अलग-अलग रह रहे लक्ष्मी लाल वर्मा एवं पूर्णिमा वर्मा तथा मो. इमरान एवं अजुम ने एक दूसरे को माला डालकर पुन: साथ-साथ रहने की कसम खायी। कार्यक्रम में कई लोगों के बीच मुआवजा का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति आर.आर. प्रसाद, प्रधान न्यायाधीश अनंत विजय सिंह, एजेसी संतोष कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रजनी कांत पाठक समेत न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।

झालसा के जरिए करें सामाजिक काम

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

ट्रैफिकिंग, यौन शोषण, मानसिक रोगी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, बाल अधिकार और आदिवासी अधिकार के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार(नालसा) ने जो स्कीम तैयार की है उसे पूरा करना होगा।

इसके लिए झारखंड राज्य विधिक प्राधिकार ने एक ट्रेनिंग मोड्यूल बनाया है। इसके तहत लोगों को प्रशिक्षित कर उनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा। बिना प्रशिक्षण के हम बेहतर जानकारी नहीं दे सकते। इसी उद्देश्य से झालसा ने इस मॉड्यूल को जारी किया है।

नालसा की स्कीम के बाद मॉड्यूल जारी करने वाला झारखंड पहला राज्य है। चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने 12 दिसंबर को रांची सिविल कोर्ट में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेडियोर एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल को लांच करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस आरआर प्रसाद, प्रधान न्यायायुक्त एवी सिंह, रांची के डीसी और एसएसपी भी मौजूद थे।

शनिवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेडियोर एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल को लांच करते चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व अन्य।

चीफ जस्टिस ने कहा कि झालसा और डालसा के माध्यम से हम लोगों को कानूनी सलाह और जानकारी देकर सामाजिक काम कर रहे हैं। हमें आम लोगों तक अपनी पहुंच बनानी ही होगी। इसके लिए झालसा और डालसा रांची के प्रयास सराहनीय रहे हैं।

हर स्कीम में 15 सदस्यीय कमेटी बनेगी

जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि हर स्कीम के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी बनेगी। इसमें पारा लीगल वोलेंटियर, अधिकारी, पैनल लॉयर्स रहेंगे। एक माह में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। कुल 3050 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके माध्यम से लोगों किस तरीके से सहायता दी जाएगी इसकी जानकारी मिलेगी। इसके बाद नालसा की स्कीम को लागू किया जाएगा।

स्कीम को सफल करना होगा

जस्टिस आरआर प्रसाद ने कहा कि नालसा ने जो स्कीम तैयार की है वह गरीब और आदिवासी जैसे कमजोर तबके के लिए है। इसे लागू कर स्कीम के उद्देश्य को पूरा करना होगा। उन्होंने नालसा के स्कीम की विस्तृत जानकारी देते हुए विधिक सेवा से जुड़े लोगों से इसमें दिल से जुड़ने की अपील की।

SUNDAY HINDUSTAN TIMES, RANCHI
DECEMBER 13, 2015

National Lok Adalats clear 13L cases, 176 get job letters

HT Correspondent
htjharkhand@hindustantimes.com

RANCHI: Over 13 lakh cases including pre-litigation matters were disposed of with a settlement of over ₹1,100 crore in the National Lok Adalats organised on Saturday in Jharkhand courts.

"As many as 12,189 court cases and 13.5 lakh pre-litigation stage cases were disposed of in different courts across the state," said a press release of the Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA).

Around 176 litigants got appointment letters on compassionate grounds from Central Coalfields Limited (CCL), Bharat Coking Coal Limited (BCCL) and Eastern Coalfields Limited (ECL).

Inaugurating the national Lok Adalats, organised under the aegis of JHALSA here at the Jharkhand High Court, chief justice Virender Singh said Jharkhand judiciary would associate the beneficiaries of Lok Adalats as para-legal volunteers. These volunteers would be asked to create awareness about the benefits of Lok Adalats by sharing their experiences among the masses.

Justice DN Patel of the Jharkhand High Court asked people (litigants) to take resort in Lok Adalats, an efficacious alternative dispute resolution (ADR) system, for settling long drawn legal wrangles at a cheaper cost.

He pointed out inherent benefits saying that the acrimonious minds come across the table in Lok Adalats to settle their disputes by striking a compromise. "Therefore, the order passed in Lok Adalat is full and final and cannot be challenged in any court of law. In such cases, both the parties are always placed at a win-win situation", he said.

"The nature of cases which were resolved consisted of Motor Accident Claim Tribunal cases, Railway claim cases, Negotiable Instrument Act cases, Matrimonial disputes, labour and forest cases, civil cases related with rent, bank recovery, mutations and others. Individual loans including Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) Bank loans were also disbursed to the applicants. Cases of both pre and post litigation stages had been taken up for final disposal," said Navneet Kumar, JHALSA member secretary.

(Top) Chief Justice Virendra Singh (C) of Jharkhand High Court witnesses the reunion of a couple at the civil court premises on Saturday in Ranchi. (Above) Singh gives job appointment letter to beneficiary during the National Lok Adalat. PARWAZ KHAN/HT

sunday pioneer

RANCHI | SUNDAY | DECEMBER 13, 2015

NALSA 7 takes systematic route with SOP

PNS ■ RANCHI

Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA) became the first among its counterparts in other States to formulate a definite action plan towards the effective implementation of seven legal services schemes launched by National Legal Services Authority (NALSA) for delivering competent legal services to those in need.

The Standard Operating Procedure (SOP) and Training Module regarding the NALSA 7 Schemes were released on Saturday by Chief Justice of Jharkhand High Court Justice Virendra Singh, who also happens to be the Patron-in-Chief of JHALSA. The documents are meant as instructions for those responsible for implementing these schemes.

As per the plan every district will have seven separate 15-member committees for each of these schemes. The committees will consist of para-legal volunteers, lawyers, police officials and officials from different organisations who will not only deliver legal services in accordance to these schemes but also aware people about them.

"JHALSA needs to reach the last man in the queue with these schemes. These are important schemes meant to help the society, but we need a proper methodology to implement these schemes. From there, came the idea to develop a SOP for these seven legal schemes," said Justice Virender Singh on the occasion.

"NALSA must endeavour to put an end to child marriage and witch-hunting cases with its legal services schemes," stated Justice RR Prasad, Jharkhand High Court Judge and Chairman of High Court Legal Services Committee regarding NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015 while shedding light on the NALSA 7 schemes.

"We will be contacting Deputy Commissioners from all 24 districts of the State to help us bring representatives of tribal populace in the loop with the NALSA 7 Schemes. Police officials will be included in the committee for their experience on the matters to be covered under the scheme," Singh further added.

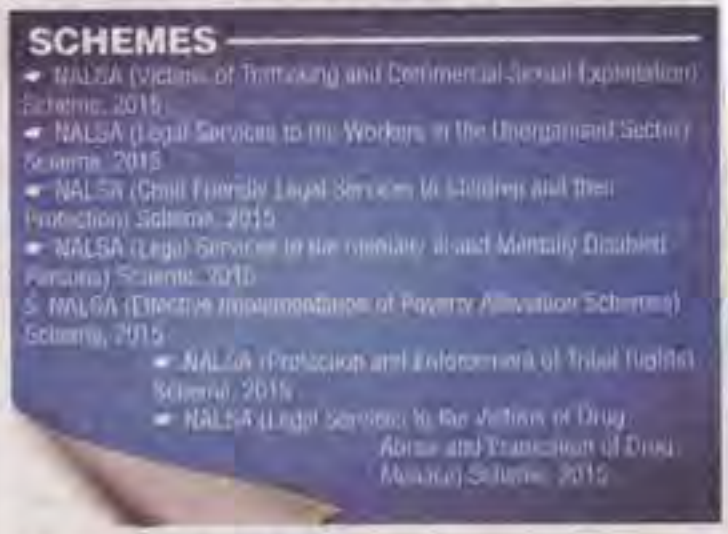

There should be only one patron per district to supervise these schemes so that there are no off-work procedures, he suggested. "The SOP released by JHALSA, being the first in India, will be forwarded to NALSA. The SOP includes uses of the NALSA 7 Schemes along with their benefits. The scope of this document is vast as it covers not only the schemes but also has the relevant peripheral laws," stated Jharkhand High Court Judge Justice DN Patel.

But before implementation of these schemes we need to train the responsible personnel and spread awareness in a systematic and scientific manner, Patel added.

Meanwhile, a National Lok Adalat was also convened today, where 13,63,634 cases were resolved out of 15,63,772 cases which were taken up, generating a total settlement amount of ₹11,52,11,22,764. "Between January and October this year, several Lok Adalats have been convened where 27 lakh cases have been handled, which generated total settlement amount of ₹651 crores. More than three thousand have been filed from across the state by JHALSA," informed Patel. "The rate of disposition of cases is quite high in the state. This year has been very satisfactory in terms of resolving cases pending in courts of law. Pending cases are being disposed swiftly which is a good sign," Singh stated.

Chief Justice, Jharkhand High Court Virender Singh alongwith Justices DN Patel, RR Prasad and senior officials released the Standard Operating Procedure and training module for effective implementation of NALSA 7 Schemes at Civil Court in Ranchi on Saturday — Vinay Murmu | Pioneer

SCHEMES

- NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015
- NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganised Sector) Scheme, 2015
- NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015
- NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015
- NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Schemes) Scheme, 2015
- NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015
- NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015

रांची, १३ दिसम्बर, २०१५

आज

राष्ट्रीय लोक अदालत में भारी संख्या में मामलों को हुआ निबटारा

176 को सीसीएल, ईसीएल व बीसीसीएल में दिलायी गयी नौकरी

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करते चीफ जस्टिस। छाया : राजकुमार

रांची। झालसा का राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया। नेशनल लीगल सर्विस अथोरिटी के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विरेंद्र सिंह ने किया। लोक अदालत के जरिये उन 176 लोगों को नौकरी दी गई जिनका केस अदालत में पेंडिंग था या संबंधित विभाग में अनुकम्पा के आधार पर मिलना था। इन लोगों को सीसीएल, ईसीएल व बीसीसीएल में रोजगार मुहैया कराया गया। इसके अलावा कुल 15 लाख 63 हजार 772 केस में से कुल 13 लाख 63 हजार 634 केस को डिस्पोजल किया गया। इसमें कुल सेटेलमेंट एमाउण्ट में 11 अरब 52 करोड़ 11लाख 22 हजार 764 रहा। इसके अलावा प्री लिटिगेशन केस में कुल 15 लाख 49 हजार 730 केस में डिस्पोजल केस 13 लाख 51 हजार 445 केस व इसमें सेटेलमेंट एमाउण्ट 11 अरब 40 करोड़ 87 लाख 45 हजार 350 रहा। साथ ही कुल 14 हजार 42 पेंडिंग केस में से 12 हजार 189 केस डिस्पोजल व इसमें कुल सेटेलमेंट एमाउण्ट 11 करोड़ 23 लाख 77 हजार 414 रहा। इस लोक अदालत में मुख्य रूप से पूर्व चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस आरआर प्रसाद उपस्थित थे।

प्रभात खबर
रांची, रविवार, 13 दिसंबर 2015
www.prabhatkhabar.com

नेशनल लोक अदालत . 170 से अधिक लोगों को मिला नियुक्ति पत्र, चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा

लोक अदालत में भागीदार बनेंगे लाभुक

एक गाइड लाइन बनाकर विषयवार मामलों की सूची तैयार की जाये

लाभुकों के बीच 150 करोड़ रुपये के चेक बंटे

लोक अदालत में किसी की हार नहीं होती

विवादों के निबटारे में लोक अदालत कारगर

वरीय संवाददाता, रांची

लोगों को नियुक्ति पत्र देते चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह

झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा कि लाभुकों को अब लोक अदालत का भागीदार बनाया जायेगा. उन्हें पारा लीगल वोलेंटियर्स (पीएलवी) बना कर ग्रामीण इलाकों में लोक अदालत के प्रचार-प्रसार का जिम्मा सौंपा जायेगा. ऐसे पीएलवी अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोगों को लोक अदालत से मिले त्वरित न्याय के अनुभव बतायेंगे. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव समाज पर पड़ेगा. चीफ जस्टिस ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन सह झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया द्वारा दिये सुझाव के आलोक में यह घोषणा की. न्यायाधीश टाटिया ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि लोक अदालत के लाभुक अगर अपनी बात खुद लोगों को बतायें, तो यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह शनिवार को हाइकोर्ट परिसर में आयोजित नेशनल लोक अदालत के उदघाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. उन्होंने महाधिवक्ता को सुझाव देते हुए कहा कि सरकार एक गाइड लाइन तैयार कर विषयवार मामलों की सूची तैयार करे. अदालत में लंबित ऐसे मामलों की सूची तैयार कर इसे स्पेशल लोक अदालत लगाकर सुलझाया जा सकता है. अगर एक साल में इस प्रकार के तीन लोक अदालत लगाये गये, तो हजारों लंबित मामलों से निजात मिल सकेगा. जस्टिस सिंह ने कहा कि झालसा की ओर से विधवाओं को न्याय दिलाने को लेकर अच्छा काम किया जा रहा है. हाइकोर्ट में 50 प्रतिशत से अधिक क्रिमिनल मामले झालसा के प्रयास से रुका हुआ है. नेशनल लोक अदालत के दौरान सीसीएल, बीसीसीएल और इसीएल की ओर से 170 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया. सैकड़ों मामले के सेटलमेंट के बाद लाभुकों के बीच लगभग 150 करोड़ रुपये के चेक बांटे गये.

आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन सह झारखंड हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया ने कहा कि न्यायालयों का गठन वास्तविक विवाद के निबटारा को लेकर हुआ है. कई मामलों में बेवजह याचिका दायर होती है. जब अदालत के समक्ष मामला आता है, तो पता चलता है कि इसका निबटारा अदालत में जाने से पहले ही किया जा सकता था. झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि एडीआर पद्धति के तहत लोक अदालत विवादों के निबटारे का सबसे सशक्त माध्यम है. इसमें लोगों को त्वरित न्याय मिलता है. इन मामलों में अपील नहीं होती है. विवादों के निबटारे के बाद कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के साथ-साथ अदालत में लंबित मामलों का भी निबटारा होता है.

झारखंड हाइकोर्ट लीगल सर्विसेस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस आरआर प्रसाद ने कहा कि लोक अदालत में किसी की हार नहीं होती है. इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का निबटारा होता है. ऐसे में किसी पक्ष को कोई गिला-शिकवा नहीं रहता है. महाधिवक्ता विनोद पोद्दार ने कहा कि सरकार लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निबटारा को लेकर न्यायालय को हर तरह का सहयोग देने को तैयार है. बार काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन ने कहा विवादों के निबटारे में लोक अदालत काफी कारगर साबित हो रही है. पुराने समय में भी पंचायत के माध्यम से मामलों का निबटारा होता था. इस अवसर पर हाइकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, वकील, रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी, विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी के अलावा कई लोग उपस्थित थे.

13.63 लाख मामलों का किया गया निबटारा

- राज्य के सभी जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

वरीय संवाददाता, रांची

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर हाइकोर्ट समेत राज्य के सभी जिला न्यायालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें कुल 13 लाख 63 हजार 634 मामलों का निबटारा हुआ. इसमें प्री लिटिगेशन मामलों की संख्या 13 लाख 51 हजार 445 है, वहीं, अदालतों में लंबित 12 हजार 189 मामलों का निबटारा हुआ है. राज्य में झालसा की ओर से लगाये गये नेशनल लोक अदालतों में लाभुकों के बीच 11 अरब 52 करोड़, 11 लाख 22 हजार 764 रुपये का चेक के माध्यम से भुगतान किया गया.

प्री लिटिगेशन मामलों में 11 अरब 40 करोड़ 87 लाख 45 हजार 350 रुपये का भुगतान किया गया. वहीं अदालतों में लंबित मामलों में 11 करोड़ 23 लाख 77 हजार 414 रुपये का भुगतान किया गया. हाइकोर्ट में लगायी गयी लोक अदालत में 170 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया.

पूरे झारखंड में 1152 करोड़ के मामले हुए सेटल्ड

नेशनल लोक अदालत में 13.63 लाख मामले निबटाए गए, विभिन्न कोर्ट में वर्षों से लंबित 12189 मामलों का भी हुआ निष्पादन

लीगल रिपोर्टर | रांची

राज्य भर में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से 13.63 लाख मामलों का निष्पादन किया गया। यह मौका अवसर है, जब पूरे देश में मामलों का निष्पादन कराने के लिए न्यायविदों द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों के बीच 1152 करोड़ रुपए सेटल्ड किए गए। इसके द्वारा 12189 ऐसे मामलों को निष्पादित किया गया, जो राज्य के विभिन्न कोर्ट में लंबित थे। लंबित मामलों के निष्पादन के दौरान राज्य भर में 11 करोड़ की राशि विभिन्न विभाग और लोगों के बीच सेटल्ड किए गए। हाईकोर्ट में नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान इनके साथ पूर्व चीफ जस्टिस पीसी टाटिया, कार्यवाहक जस्टिस डीएन पटेल और आरआर प्रसाद मौजूद थे।

हाईकोर्ट ने 176 लोगों को नौकरी दिलवाई

झारखंड हाईकोर्ट में भी झालसा के नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 108 लंबित केसों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पूर्व से प्रस्तावित 176 लोगों को नौकरी भी दिलवाई। ये सभी लोग सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल से पीड़ित थे और वर्षों से मुकदमों के माध्यम से न्याय की आस लगाए हुए थे।

नए वर्ष में दो गिफ्ट देगा झालसा

[illegible]

फिर एक-दूजे के हुए दो जोड़े

[illegible]

दैनिक जागरण रांची, 13 दिसंबर 2015

जागरण www.jagran.com

लोक अदालत में साढ़े तेरह लाख मामलों का निपटारा

- नेशनल लोक अदालत में 176 लोगों को मिला नियुक्ति पत्र
- 125 करोड़ से अधिक के चेक का वितरण

राज्य ब्यूरो, रांची : शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पूरे प्रदेश भर में साढ़े तेरह लाख मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान 125 करोड़ रुपये का चेक का वितरण किया गया। लोक अदालत में सीसीएल, बीसीसीएल और इसीएल ने 176 से अधिक लोगों के बीच नियुक्ति पत्र बांटा।

लोक अदालत के लाभुकों को बनाए भागीदार : चीफ जस्टिस : हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके माध्यम से जिन लोगों को त्वरित लाभ मिला है उनका सहयोग प्रचार में लेना चाहिए। वे यहां हाईकोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में प्रचार करने का ज्यादा फायदा होगा। चीफ आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष सह झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया ने भी इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने लोक अदालत के लाभुकों का डाटा तैयार करने की जरूरत पर बल दिया। जिसका उपयोग त्वरित न्याय प्रणाली को धरातल पर उतारने में किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कई बार लोग बगैर ठोस कारण के न्यायालय आ जाते हैं। सुनवाई के दौरान लगता है कि इन मामलों का निष्पादन बातचीत के माध्यम से भी किया जा सकता है। न्यायाधीश डीएन पटेल ने इस बात पर खुशी जताई कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कामकाज की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। यह बेहतर संकेत है। हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन जस्टिस आरआर प्रसाद ने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा होना सुखद है। इस मौके पर महाधिवक्ता विनोद पोद्दार ने लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे में सरकार की तरफ से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। बार कौंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन, उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, वरीय अधिवक्ता आनंद सेन, केपी देव, नवनीत कुमार आदि इस दौरान मौजूद थे।

हाईकोर्ट में नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में बोलते मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह।

'सामाजिक हित के मामलों को सुलझाने में प्रभावी होगी पुस्तिका'

- मुख्य न्यायाधीश ने किया 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर और ट्रेनिंग मॉड्यूल' पुस्तिका का विमोचन

जागरण संवाददाता, रांची : सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को दोपहर करीब ढाई बजे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह ने 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर और ट्रेनिंग मॉड्यूल' का विमोचन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नौ नवंबर 2012 को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (नालसा) ने सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए इससे जुड़े मामलों को निपटाने के उद्देश्य से सात योजनाएं बनाई थी। इन सात योजनाओं को समाज में कैसे लागू किया जाए, यही इस पुस्तिका में बताया गया है।

न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह ने बताया कि इन्हीं सात योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में यह पुस्तिका सहायक साबित होगी। इसे तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डीएन पटेल की भी उन्होंने प्रशंसा की। मुख्य न्यायाधीश के साथ मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायाधीश आरआर प्रसाद के अलावा रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त एपी सिंह, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आरके चौधरी, एसएसपी प्रभात कुमार, डीसी मनोज कुमार, झालसा के सचिव नवनीत, विधि सचिव बी. मंगलमूर्ति आदि मौजूद थे।

1733 मामलों का निष्पादन : नेशनल लोक अदालत में सिर्फ सिविल कोर्ट रांची ने सर्वाधिक 1733 मामलों का निष्पादन किया गया है, जिसमें दो करोड़ 11 लाख 49 हजार 992 रुपये की राशि संबंधित लोगों में वितरित की गई है।

लेबर कोर्ट में लोक अदालत 144 मामलों का निष्पादन

रांची : श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में 30 मामलों का निष्पादन किया गया। समझौता के बाद 145 श्रमिकों के बीच 50 लाख 26 हजार 594 रुपये का वितरण किया गया। सुनवाई में न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी विजय कुमार शर्मा, सदस्य आरती लकड़ा उपस्थित थे।